लाइसेंस हेतु नियम एवं शर्तें

- लाइसेंस धारी उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड बनायी गई नियमावली और लाइसेंस जारी करने वाली मण्डी समिति की उपविधियों के उपबन्धों का पालन करेगा।
- लाइसेंस धारी अधिनियम नियमावली तथा मण्डी समिति की उपविधियों के किन्हीं भी उपबन्धों के उपवचन अथवा् उल्लंघन की अनुज्ञा न देना और को भी उपवचन या उल्लंघन जो उसकी जानकारी में आये उसकी लिखित सूचना मण्डी समिति को देगा।
- लाइसेंस धारी अपने कारोबार का संचालन न्यायगत व्यवहार के सिद्धान्तों के आधार पर ईमानदारी और उचित रूप से करेगा।
- लाइसेंस धारी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में ऐसे प्रपत्रों में ऐसे लेखे रखेगा और ऐसी विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर मण्डी समिति द्वारा निर्दिष्ट की जाय।
- लाइसेंस धारी समस्त सौंदों को जैसे ही वह हो जायें अभिलेखों में दर्ज करेगा तथा स्टाफ की स्थिति के अनुसार अभिलेखों को अद्यावधि रखेगा।
- लाइसेंस धारी लाइसेंस के अधीन किसी कारोबार के सौदों के लिए जिसमें कृषि उत्पादन के संग्रह अथवा् प्रक्रिया भी सम्मिलित है। लाइसेंस के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र में उल्लिखित भू-गृहादि के अतिरिक्त जब कभी कोई भू-गृहादि बढ़ायेगा अथवा् उसमें परिवर्तन करेगा तो उसकी लिखित सूचना मण्डी समिति को देगा।
- लाइसेंस धारी मण्डी समिति को पूर्व लिखित सूचना दिये बिना किसी भी व्यक्ति को जिसका नाम लाइसेंस के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र में न हो अपने नियमित प्रदत्त रोजगार में नहीं लेगा।
- लाइसेंस धारी सचिव तथा किसी भी अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी का जो मण्डी समिति द्वारा लाइसेंस धारी के लेखों और स्टाफ की जांच करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, समस्त उचित सुविधायें देने की व्यवस्था करेगा।
- लाइसेंस धारी मांगने पर अपना लाइसेंस सभापति सचिव अथवा् मण्डी समिति द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अन्य किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा।
- लाइसेंस धारी ऐसी कार्यवाहियों अथवा् व्यवहारों में निरत न होगा जो निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के विक्रय तथा क्रय विनियम के लिए हानिकर हो।
- लाइसेंस धारी किसी लाइसेंस प्राप्त दलाल, तोलक, मापक या पल्लेदार को अपने नियमित प्रदत्त कर्मचारी के रूप में न तो रखेगा न बने रहने देगा।
- लाइसेंस धारी अपनी दुकान पर विक्रय अथवा् संग्रह के लिए लाये गये निर्दिष्ट कृषि उत्पादन की सुरक्षित अभिरक्षा तथा उसके संरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।
- लाइसेंस धारी प्रतियोगिता को हटाने के लिए क्रेताओं के साथ मिलकर कोई समुच्चय (चववस) अथवा् संयोजन नहीं बनायेगा तथा विक्रेता को उसके उत्पादन के उचित मूल्य से वंचित करने के लिए ऐसा करने का न कोई प्रयास करेगा और न उसके लिए उकसायेगा।
- लाइसेंस धारी यदि वह व्यापारी है मण्डी स्थल में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के लिए किये गये नीलामों में उपस्थिति होने से न तो स्वयं जानबूझकर अलग रहेगा और न अपने प्राधिकृत किसी प्रतिनिधि को अलग रहने देगा।
- लाइसेंस धारी अपने कारोबार के भू-गृहादि के किसी प्रमुख स्थान पर अपना लाइसेंस प्रदर्शित करेगा।
- लाइसेंस धारी मण्डी स्थल में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन की बिक्री तथा क्रय के सम्बन्ध में न तो स्वयं बहिष्कार करेगा और न किसी अन्य लाइसेंस धारी के बहिष्कार को प्रोत्साहित करेगा।
- लाइसेंस धारी अधिनियम नियमावली तथा उपविधियों के अधीन मण्डी समिति के सभापति या सचिव द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेषों तथा निर्देषों का पालन करेगा।
- लाइसेंस धारी से जब मण्डी समिति अथवा् उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाय तो अपने कारोबार से समयबद्ध विशयों पर ठीक-ठीक सूचना देगा।

- लाइसेंस धारी यदि उसके पास मण्डी स्थल का लाइसेंस है निर्दिष्ट कृषि उत्पादन को केवल मण्डी स्थल में ही क्रय करेगा। मण्डी स्थल के बाहर मण्डी क्षेत्र में निर्दिष्ट कृषि उत्पादनों के विक्रय, क्रय, संग्रह, तौलने या प्रक्रिया हेतु किसी स्थान व्यवस्था करने के लिए पृथक लाइसेंस लेना आवष्यक होगा।
- लाइसेंस धारी यदि वह फुटकर व्यापारी है किसी भी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन को किसी एक समय में उपविधि की धारा 20 के अन्तर्गत से अधिक न तो क्रय करेगा न संग्रह करेगा।
- लाइसेंस धारी यदि ग्राम व्यापारी है निर्दिष्ट कृषि उत्पादन को मण्डी क्षेत्र में कहीं भी सिवाय मण्डी स्थल के विक्रय नहीं करेगा।

उद्देश्य

- मण्डी विनियमन का उद्देश्य व्यापार में असुविधा उत्पन्न करना नहीं बल्कि उससे उत्पादन कर्ता एवं व्यापारी तथा उपभोकता के हित में चलाना है।
- विनियमित मण्डी में उत्पादन की शुद्धता एवं सफाई पर विषेश ध्यान दिया जाता है, जिससे वह आकर्षक बनकर अधिक मूल्य ही प्राप्त नहीं करती वरन् मण्डी को दूर-दूर तक प्रतिष्ठित भी करती है।
- मण्डी में विक्रेता से आढ़त, धर्मादा, कर्दा, मण्डी शुल्क फालतू तौल या कोई अन्य कटौती लेना या आरोपित करना जुर्म है।

लाइसेंस आवेदन हेतु दिशा - निर्देश

इस फॉर्म को भरने के तीन चरण हैं-

- फॉर्म 1:- आवेदक अपना व्यक्तिगत विवरण भरे |
- फॉर्म 2:- आवेदक अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करे |
- फॉर्म 3:- आवेदक SBI Collect पर जाकर फीस जमा करे तथा उसका विवरण फॉर्म में भरे |
- पहला चरण पूर्ण करने पर दूसरा तथा दूसरा चरण पूर्ण करने पर तीसरा फॉर्म स्वतः दर्शित होगा |
- किसी भी चरण के दौरान Internet या तकनीकी कारणों से Session बंद हो जाता है , तो eMandi Site पर दर्शित हो रहे "आवेदन की स्थिति" लिंक पर जाकर आवेदन पर पहुंचा जा सकता है |
- सभी चरणों को पूर्णतः भरने के लिए अधिकतम 14 दिन का समय दिया गया है | 14 दिन बाद आपके द्वारा किया गया अपूर्ण आवेदन स्वतः Expire हो जायेगा तथा आवेदक को पुनः आवेदन करना होगा |

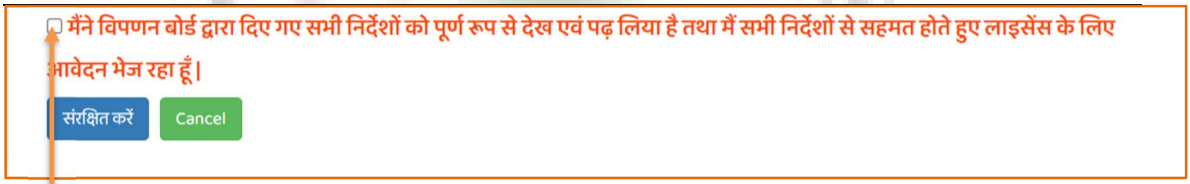

चेक बॉक्स का चयन करें और संरक्षित करें बटन पर क्लिक करें।

➢ **सुरक्षित बटन पर क्लिक करने के बाद नवीन लाइसेंस हेतु आवेदन फॉर्म की स्क्रीन दिखाई देगी**

नवीन लाइसेंस हेतु आवेदन

* आवश्यक फ़ील्ड्स

लाइसेंस आवेदन हेतु दिशा - निर्देश

नवीन लाइसेंस हेतु आवेदन भरने के तीन फॉर्म हैं | :-
फॉर्म A:- आवेदन की सूचना
फॉर्म B:- संलग्नक
फॉर्म C:- फीस भुगतान

तीनो फॉर्म ऑनलाइन पूर्ण रूप से भरने पर ही आवेदन पूर्ण माना जाता है| Part A में आवेदन की सूचना, Part B में संलग्नक तथा Part C में फीस की सूचना भरनी होती है | तीनो फॉर्म भरने के लिए अधिकतम 14 दिन का समय होता है| 14 दिन बाद पुनः आवेदन प्रारम्भ से भरना होगा |

(Press Ctrl+G for Language (भाषा परिवर्तन के लिए Ctrl+G दबाएं))

यदि पूर्व में आवेदन संख्या प्राप्त हो तो ?

यदि आप पहली बार इस पृष्ठ पर हैं तो इस फ़ील्ड को इग्नोर करें | यदि आपने पूर्व में भी लाइसेंस हेतु आवेदन किया है तो पूर्व आवेदन संख्या दर्ज करके विवरण को ऑटोफिल कर सकते हैं।

आवेदन का विवरण

*1. लाइसेंस का प्रकार
मंडी क्षेत्र लाइसेंस

*2. जनपद
Nainital

*3. मंडी जहाँ आवेदन करना है
Haldwani (हल्द्वानी)
मंडी का चयन करें

आवेदक का विवरण

*4. आवेदक का नाम
ANOOP
आवेदक का नाम दर्ज करें

*5. पिता का नाम
RAJKAPOOR
पिता का नाम दर्ज करें

*6. पैन कार्ड नंबर
BJJPV7047M
आवेदक पैन नंबर दर्ज करें

*7. ई मेल आईडी
anoop@gmail.com
ईमेल आईडी दर्ज करें

*8. मोबाइल नंबर
7905187455
संपर्क नंबर दर्ज करें

*11. आवेदक का पता
Barabanki
आवेदक पता दर्ज करें

*9. पिन कोड
225202
पिनकोड दर्ज करें

*10. राज्य
Uttrakhand

*12. अवधि
एक वर्ष

व्यावसायिक इकाई का विवरण

*13. व्यावसायिक इकाई का नाम *कृपया M/S ना लगाये
ANOOP ENTERPROSSES
फर्म का नाम दर्ज करें

*14. व्यावसायिक इकाई का प्रकार
प्रोप्राइटरशिप
फर्म प्रकार का चयन करें

*15. व्यावसायिक इकाई का स्थायी पता
Ramnagar barabanki
फर्म का स्थायी पता दर्ज करें

*16. व्यावसायिक इकाई का स्थानीय पता दोनों समान है ☐
Ramnagar barabanki
फर्म का वर्तमान पता दर्ज करें

17. व्यावसायिक इकाई का पैन कार्ड नंबर
BJJPV7047M

18. व्यावसायिक इकाई का GSTIN नंबर
GSTIN नंबर

19. यदि प्रोप्राइटरशिप है तो नॉमिनी का नाम
RAJ

20. आवेदक का आधार नंबर
224455112244

*21. व्यावसायिक इकाई निबद्ध है अथवा नहीं
◉ नहीं ○ हैं
हैं या नहीं का चयन करें

23. यदि निर्यातक है तो

24(क). IEC
IEC

24(ख). APEDA Number
Apeda2024

*25. प्रयोजन जिसके लिए लाइसेंस चाहिये ?
थोक व्यापारी एवं आढ़तिया
लाइसेंस उद्देश्य का चयन करें

*26. व्यावसायिक इकाई जिस मंडी क्षेत्र/मंडी स्थल में व्यापार करना चाहता है उसका नाम
NAVEEN MANDI BARABANKI
मंडी का व्यावसायिक स्थान दर्ज करें

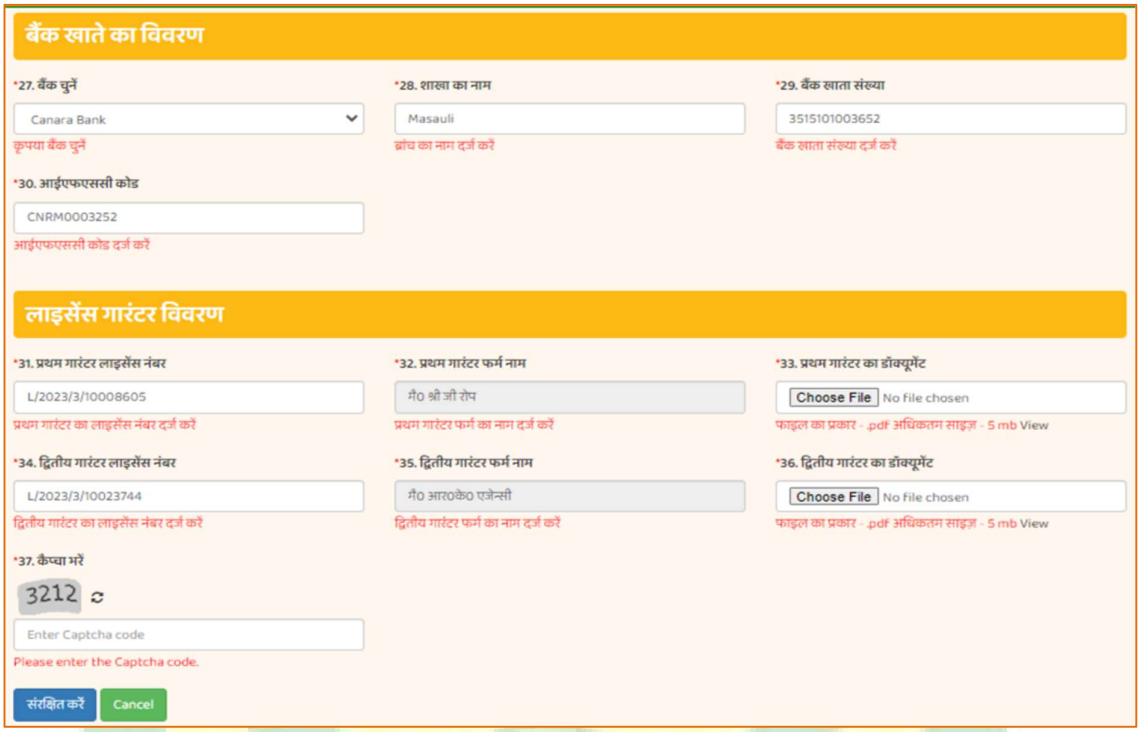

- **आवेदन पत्र के सभी क्षेत्रों को ध्यानपूर्वक भरें और संरक्षित करें बटन पर क्लिक करें।**
- **संरक्षित करें बटन पर क्लिक करने के बाद करने के बाद आपको फर्म के भागीदार / निदेशक / प्रबंधक के नाम और भंडारों तथा अन्य संग्रह भू गृहादि का विवरण, क्षमता तथा स्थिति (चौहद्दी) की डिटेल्स भरे|**

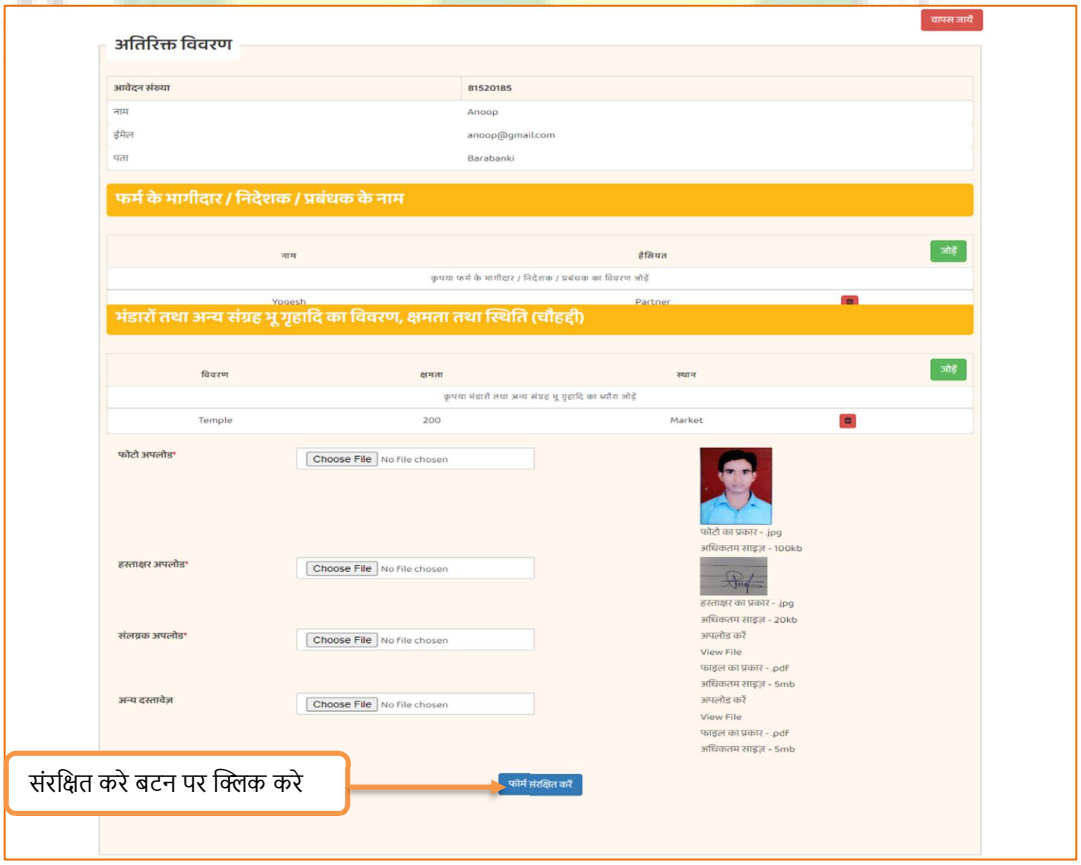

चेक बॉक्स का चयन करें और संरक्षित करें बटन पर क्लिक करें।

आवेदन में अगर कोई त्रुटि हो तो रद्द करे बटन पर क्लिक करे

- **सरक्षित बटन पर क्लिक क्लार्ने के बाद आपको आवेदन संख्या (एप्लीकेशन आईडी) की स्क्रीन दिखाई देगी**

लाइसेंस फीस जमा करने हेतु नवीन लाइसेंस फीस जमा करने मेनू पर क्लिक करे

- **नवीन लाइसेंस फीस जमा करने मेनू पर क्लिक करने के बाद आपको लाइसेंस फीस जमा करने की स्क्रीन दिखाई देगी**

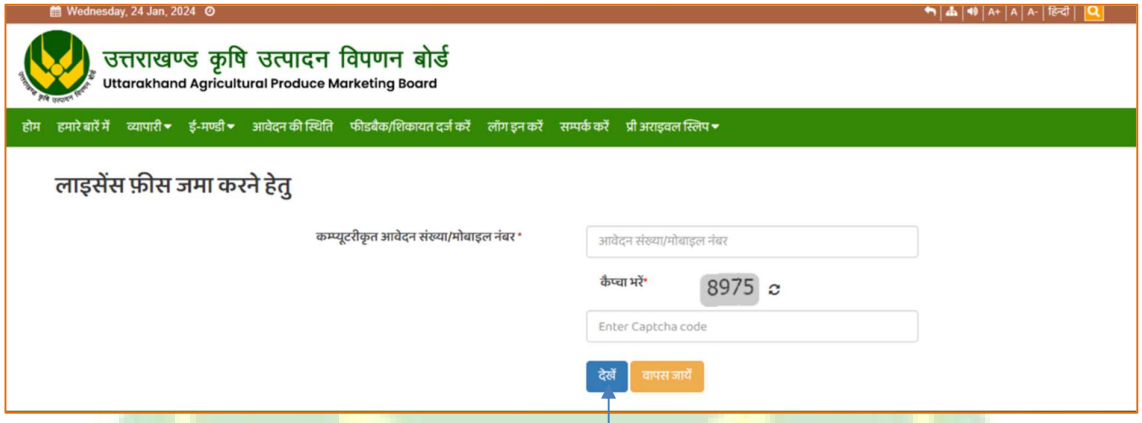

आवेदन संख्या/मोबाइल नंबर दर्ज करें और कैप्चा भरे और देखे बटन पर क्लिक करे